

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3388
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

†3388. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की योजना भारत में प्रतिभा पलयान से निपटने के लिए विदेशी परिसरों को लाकर उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की है; और
- (ख) सरकार देश में उच्च शिक्षा की लागत को किस प्रकार कम करेगी ताकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के पलायन को रोका जा सके?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): देश में शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव और सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) तैयार और अनुमोदित की गई। एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में से एक “शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण” है, जिसका उद्देश्य विविध शिक्षा प्रणालियों के बीच बातचीत के माध्यम से सर्वोत्तम शैक्षणिक और अनुसंधान पद्धतियों को बढ़ावा देना और साझा करना है। एनईपी 2020 की संकल्पना के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) के शाखा परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए “यूजीसी (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023” जारी किए हैं।

गुजरात के गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 जारी किए गए हैं।

भारत सरकार ने संस्थानों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, संस्थानों और पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के माध्यम से उच्च

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ पहलें हैं:

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) योजना में तीन घटकों (i) चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना, (ii) विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान और (iii) बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी)** के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के प्रत्यायन को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)** द्वारा डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करना।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना के अंतर्गत तीन घटक योजनाओं अर्थात् (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस); (ii) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एसएसएस); और (iii) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) को कार्यान्वित कर रहा है।
- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचआई) में प्रवेश पाने वाले किसी भी छात्र को सहायता प्रदान करना है।
- प्रत्येक शिक्षार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, **स्वयम और स्वयम प्लस** के माध्यम से कई पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
- **एक राष्ट्र, एक सदस्यता** पहल, जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करना है;
- नवाचार, ज्ञान सृजन हेतु केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रमुख संस्थानों में **8 अनुसंधान पार्क** स्थापित किए गए हैं तथा शीर्ष उद्योगों के साथ अनुसंधान सहयोग किया गया है, जिससे छात्रों में उद्यमशीलता और इनक्यूबेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा मजबूत शैक्षिक संबंध स्थापित होंगे।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को शुरू करना, वृद्धि करना और उसे बढ़ावा देना है तथा भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।